भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

राज्य सभा
तारांकित प्रश्न सं.113*
(08 दिसंबर, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पीएमजीएसवाई का विस्तार

113*. श्री राम नाथ ठाकुरः

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने हाल ही में यह निर्णय लिया है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) का विस्तार करके जितने भी गांव शेष बचे हैं उनमें सड़क का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा;

(ख) क्या इस संबंध में कोई आकलन कराया गया है कि वर्तमान योजना के दायरे में कितने गांवों को सम्पर्क सड़क से जोड़ा जाना बाकी है;

(ग) बिहार में ऐसे कितने गांव बाकी हैं जहां सड़कों का निर्माण कार्य पूरा किया जाना अभी तक शेष है; और

(घ) तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है और इसे कब तक पूरा किया जाएगा?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्री
(श्री गिरिराज सिंह)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

राज्य सभा में दिनांक 08.12.2021 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 113 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-I (पीएमजीएसवाई-I) भारत सरकार द्वारा 25 दिसंबर, 2000 को शुरू किया गया एकबारगी विशेष कार्यकलाप है जिसका उद्देश्य कोर नेटवर्क के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में 500 व्यक्तियों की आबादी वाली सड़क संपर्कविहीन पात्र बसावटों को बारहमासी सड़क संपर्क मुहैया कराना है। विशेष श्रेणी वाले राज्यों (अर्थात अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा उत्तराखंड), मरूभूमि क्षेत्रों (मरूभूमि विकास कार्यक्रम में यथानिर्धारित), जनजातीय (अनुसूची-V) क्षेत्रों और चुनिंदा जनजातीय और पिछड़े जिलों (गृह मंत्रालय/योजना आयोग द्वारा यथानिर्धारित) में उद्देश्य 250 व्यक्तियों और उससे अधिक की आबादी (2001 की जनगणना के अनुसार) वाली सड़कों से न जुड़ी सभी पात्र बसावटों को सड़कों से जोड़ने का है। गृह मंत्रालय द्वारा यथानिर्धारित सर्वाधिक गहन समेकित कार्य योजना (आईएपी) ब्लॉकों के लिए 100 और उससे अधिक (2001 की जनगणना के अनुसार) की आबादी वाली सड़क संपर्कविहीन बसावटें पीएमजीएसवाई के अंतर्गत शामिल किए जाने के लिए पात्र हैं।

पीमएजीएसवाई-II की शुरूआत वर्ष 2013 में की गई थी, इसमें लोगों, वस्तुओं तथा सेवाओं हेतु आवागमन सेवाओं के प्रदाता के रूप में इसकी समग्र कार्यकुशलता में सुधार के उद्देश्य से मौजूदा ग्रामीण सड़क नेटवर्क के 50,000 किलोमीटर के समेकन तथा उन्नयन का लक्ष्य था।

वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क सपंर्कता परियोजना (आरसीपीएलडब्लूईए) की शुरूआत वर्ष 2016 में सीसीईए के अनुमोदन से की गई थी जिसका उद्देश्य वामपंथी उग्रवाद से सर्वाधिक प्रभावित 44 जिलों और 9 राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के कुछ संबद्ध जिलों में सड़क संपर्कता में सुधार करना था। यह योजना सुरक्षा बलों के निरंतर और निर्बाध वामपंथी उग्रवाद विरोधी अभियानों में सहायता करने तथा क्षेत्र का सामाजिक-आर्थिक विकास भी सुनिश्चित करने के दोहरे उद्देश्य से शुरू की गई थी।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-III का शुभारंभ वर्ष 2019 में बसावटों को अन्य के साथ-साथ ग्रामीण कृषि बाजारों, उच्च माध्यमिक स्कूलों और अस्पतालों से जोड़ने वाले 1,25,000 किलोमीटर थ्रू-रूटों और मुख्य ग्रामीण लिंकों के समेकन और उन्नयन के लिए किया गया था।

पीएमजीएसवाई-I और II के अंतर्गत अधिकांश लंबित कार्य पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के हैं। कई राज्यों ने कोविड लॉकडाउन, ठेके से संबंधित मुद्दों, काम की कम अवधि, वन मुद्दों जैसे कारकों के कारण समय-सीमा को बढ़ाने का अनुरोध किया था। इसी प्रकार, आरसीपीएलडब्लूईए

का कार्यान्वयन करने वाले कुछ राज्यों ने कोविड लॉकडाउन, ठेके से संबंधित मुद्दों, काम की कम अवधि, वन मुद्दों, कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दों तथा निविदा के लिए प्रतिक्रिया की कमी जैसे मुद्दों के आधार पर समय-सीमा को बढ़ाने का अनुरोध किया था। सरकार ने उनके अनुरोध पर विचार किया है तथा पीएमजीएसवाई-I और II के लिए सितंबर, 2022 तक और आरसीपीएलडब्लूईए के लिए मार्च, 2023 तक शेष सड़कों और पुल कार्यों को पूरा करने के लिए समय-सीमा को बढ़ाने का निर्णय लिया है। पीएमजीएसवाई-III को मार्च, 2025 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है।

(ख): कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के अनुसार इस कार्यक्रम की इकाई एक बसावट है न कि राजस्व ग्राम। योजना के तहत कवरेज के लिए पहचान की गई 250+ और 500+ जनसंख्या श्रेणी की 1,78,184 पात्र बसावटों में से, 16,086 बसावटों को राज्यों द्वारा अपने संसाधनों से संपर्कता प्रदान की गई है और 4,722 बसावटों को या तो निरस्त कर दिया गया है या व्यवहार्य नहीं पाया गया है। 2 दिसंबर, 2021 की स्थिति के अनुसार पीएमजीएसवाई के तहत संपर्कता प्रदान करने के लिए स्वीकृत शेष 1,57,376 बसावटों में से 1,55,471 को पहले ही जोड़ा जा चुका है। 2 दिसंबर, 2021 की स्थिति के अनुसार 100-249 जनसंख्या वर्ग में, 6,260 बसावटों को स्वीकृत किया गया है, जिनमें से 5,810 बसावटों को पहले ही जोड़ा जा चुका है। सभी राज्यों/ संघ शासित राज्यों में पीएमजीएसवाई के तहत 250+ और 100-249 जनसंख्या वर्ग के तहत स्वीकृत, संपर्कता प्रदान की गई और संपर्कता प्रदान किए जाने के लिए शेष बसावटों का विवरण निम्नानुसार है :-

जनसंख्या वर्ग	**स्वीकृत बसावटें (सं.)**	**सड़क से जुड़ी हुई बसावटें (सं.)**	**शेष बसावटें (सं.)**
250+	1,57,376	1,55,471	1,905
100-249	6,260	5,810	450
कुल :	**1,63,636**	**1,61,281**	**2,355**

स्वीकृत, संपर्कता प्रदान की गई और संपर्कता प्रदान किए जाने के लिए शेष बसावटों का राज्य-वार विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ग) और (घ): बिहार राज्य में पीएमजीएसवाई के तहत 250+ और 100-249 जनसंख्या वर्ग के तहत स्वीकृत, सड़क संपर्क से जुड़ी हुई और संपर्कता के लिए शेष बसावटों का विवरण अनुबंध-II में दिया गया है। शेष बसावटों को सितंबर, 2022 तक जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।

अनुबंध- I

राज्य सभा में दिनांक 08.12.2021 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न सं. 113 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

दिनांक 02 दिसंबर, 2021 की स्थिति के अनुसार राज्यों/संघ शासित राज्यों में स्वीकृत, जोड़ी गई और शेष बसावटों का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्यों/संघ शासित राज्यों का नाम	कुल स्वीकृत बसावटें			कुल जोड़ी गई बसावटें			जोड़ी जाने वाली शेष बसावटें		
		पात्र 250+	पात्र 100-249	कुल	पात्र 250+	पात्र 100-249	कुल	पात्र 250+	पात्र 100-249	कुल
1	अंडमान और निकोबार	7	0	7	6	0	6	1	0	1
2	आंध्र प्रदेश	1,234	202	1,436	1,221	174	1,395	13	28	41
3	अरुणाचल प्रदेश	641	0	641	540	0	540	101	0	101
4	असम	13,747	0	13,747	13,679	0	13,679	68	0	68
5	बिहार	30,077	1,429	31,506	29,454	1,372	30,826	623	57	680
6	छत्तीसगढ़	9,736	1,188	10,924	9,518	936	10,454	218	252	470
7	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	गोवा	0	0	0	1	0	1	0	0	0
9	गुजरात	3,048	0	3,048	3,048	0	3,048	0	0	0
10	हरियाणा	1	0	1	1	0	1	0	0	0
11	हिमाचल प्रदेश	2,564	0	2,564	2,451	0	2,451	113	0	113
12	जम्मू और कश्मीर	2,144	0	2,144	2,026	0	2,026	118	0	118
13	झारखंड	9,538	1,401	10,939	9,537	1,411	10,948	1	0	0
14	कर्नाटक	296	0	296	296	0	296	0	0	0
15	केरल	404	0	404	402	0	402	2	0	2
16	मध्य प्रदेश	17,529	12	17,541	17,500	5	17,505	29	7	36
17	महाराष्ट्र	1,347	74	1,421	1,338	65	1,403	9	9	18
18	मणिपुर	652	0	652	597	0	597	55	0	55
19	मेघालय	602	0	602	413	0	413	189	0	189
20	मिजोरम	232	0	232	224	0	224	8	0	8
21	नागालैंड	109	0	109	95	0	95	14	0	14

22	ओडिशा	15,328	1,695	17,023	15,247	1,596	16,843	81	99	180
23	पंजाब	389	0	389	389	0	389	0	0	0
24	राजस्थान	15,976	0	15,976	15,981	0	15,981	2	0	0
25	सिक्किम	350	0	350	340	0	340	10	0	10
26	तमिलनाडु	1,985	0	1,985	1,985	0	1,985	0	0	0
27	त्रिपुरा	2,008	0	2,008	1,955	0	1,955	53	0	53
28	उत्तर प्रदेश	11,749	0	11,749	11,748	0	11,748	1	0	1
29	उत्तराखंड	1,867	0	1,867	1,729	0	1,729	138	0	138
30	पश्चिम बंगाल	13,156	150	13,306	13,091	144	13,235	65	6	71
31	तेलंगाना	595	109	704	595	107	702	0	2	2
32	लद्दाख	65	0	65	64	0	64	1	0	1
कुल		**1,57,376**	**6,260**	**1,63,636**	**1,55,471**	**5,810**	**1,61,281**	**1,905**	**450**	**2,355**

अनुबंध- II

राज्य सभा में दिनांक 08.12.2021 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न सं. 113 के भाग (ग) एवं (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

दिनांक 02 दिसंबर, 2021 की स्थिति के अनुसार बिहार राज्य में स्वीकृत, जोड़ी गई और शेष बसावटों का जिला-वार ब्यौरा

क्र.सं.	जिले का नाम	कुल स्वीकृत बसावटें			कुल जोड़ी गई बसावटें			जोड़ी जाने वाली शेष बसावटें		
		पात्र 250+	पात्र 100-249	कुल	पात्र 250+	पात्र 100-249	कुल	पात्र 250+	पात्र 100-249	कुल
1	अररिया	920	0	920	918	0	918	2	0	2
2	अरवल	223	7	230	219	7	226	4	0	4
3	औरंगाबाद	1,441	326	1,767	1,428	325	1,753	13	1	14
4	बांका	722	0	722	721	0	721	1	0	1
5	बेगूसराय	515	0	515	508	0	508	7	0	7
6	भागलपुर	719	0	719	709	0	709	10	0	10
7	भोजपुर	543	0	543	520	0	520	23	0	23
8	बक्सर	411	0	411	406	0	406	5	0	5
9	छपरा (सारण)	1,074	0	1,074	1,055	0	1,055	19	0	19
10	दरभंगा	912	0	912	900	0	900	12	0	12
11	पूर्वी चंपारण	1,429	0	1,429	1,407	0	1,407	22	0	22
12	गया	1,986	362	2,348	1,964	340	2,304	22	22	44
13	गोपालगंज	436	0	436	436	0	436	0	0	0
14	जहानाबाद	356	58	414	354	55	409	2	3	5
15	जमुई	946	575	1,521	924	559	1,483	22	16	38
16	कैमूर (भभुआ)	872	36	908	841	24	865	31	12	43

17	कटिहार	629	0	629	602	0	602	27	0	27
18	खगरिया	373	0	373	324	0	324	49	0	49
19	किशनगंज	440	0	440	431	0	431	9	0	9
20	लखीसराय	239	0	239	207	0	207	32	0	32
21	मधेपुरा	491	0	491	482	0	482	9	0	9
22	मधुबनी	1,217	0	1,217	1,168	0	1,168	49	0	49
23	मुंगेर	385	26	411	377	26	403	8	0	8
24	मुजफ्फरपुर	1,058	0	1,058	1,051	0	1,051	7	0	7
25	नालंदा	538	0	538	526	0	526	12	0	12
26	नवादा	1,104	14	1,118	1,075	12	1,087	29	2	31
27	पटना	899	0	899	885	0	885	14	0	14
28	पूर्णिया	1,013	0	1,013	1,004	0	1,004	9	0	9
29	रोहतास	973	1	974	956	1	957	17	0	17
30	सहरसा	449	0	449	410	0	410	39	0	39
31	समस्तीपुर	1,413	0	1,413	1,395	0	1,395	18	0	18
32	शेखपुरा	131	0	131	117	0	117	14	0	14
33	शिवहर	159	0	159	148	0	148	11	0	11
34	सीतामढ़ी	969	14	983	940	13	953	29	1	30
35	सिवान	807	0	807	807	0	807	0	0	0
36	सुपौल	452	0	452	446	0	446	6	0	6
37	वैशाली	942	0	942	924	0	924	18	0	18
38	पश्चिम चंपारण	1,891	10	1,901	1,869	10	1,879	22	0	22
कुल		**30,077**	**1,429**	**31,506**	**29,454**	**1,372**	**30,826**	**623**	**57**	**680**